आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– अपील वाद सं0 01/14-15

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
13.06.2017	*आदेश*	
	प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 01/2014–15 नवल किशोर वर्मा, पे0–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, ग्राम+पोस्ट–रोहियामा, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 571 दिनांक 17.04.2014 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है।	
	दाखिल अपील आवेदन के उल्लेख किया गया है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से जन वितरण प्रणाली दूकान अनुज्ञप्ति सं0 29 बी0/07 की जाँच करायी गयी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा ज्ञापांक 504, दिनांक 05.04.2014 से स्पष्टीकरण किया गया। जिसका जबाव उन्हें दिया गया। उनके जबाव पर सम्यक विचार नहीं की गयी तथा उनके जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति सं0 29 बी0/2007 को दिनांक 17.04.2014 को रद्द कर दिया गया, जो बिल्कूल ही न्याय संगत एवं विधि संगत नहीं है। उन्होंने अपने अपील आवेदन में कहा है कि उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया था कि निरीक्षण की तिथि को अनुज्ञप्तिधारी राज्य खाद्य निगम गोदाम से खाद्यान उठाव हेतु गए हुए थे और जन वितरण प्रणाली दूकान के नोटिश बोर्ड पर स्टॉक का उल्लेख कर दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि उनके वितरण पंजी, भंडार पंजी, कूपन एवं अन्य संबंधित कागजात को देखे और जांच किए बिना आदेश पारित किया गया जो न्याय एवं विधि संगत नहीं है। उन्होंने अपने अपील को स्वीकार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 17.04.2014 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को आवंटन चालू करने का निदेश देने का अनुरोध किया है। दिनांक 09.02.2013 को विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा इस वाद को अंगीकृत किया गया तथा दिनांक 19.04.2016 को अभिलेख उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। दिनांक 19.04.2016 के बाद से अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के लगातार एक वर्ष से अनुपस्थित रहने से स्पष्ट होता है कि अपीलाथी को अभिरूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में एकतरफा आदेश पारित किया जा रहा है।	

अपीलार्थी का अपील आवेदन एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :–

बेलदौर प्रखंड अन्तर्गत डूमरी पंचायत के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री नवल किशोर वर्मा अनुप्ति सं0 29 बी0/2007 के विरूद्ध रोहियामा ग्राम के महादलित उपभोक्ताओं श्री ब्रहमदेव पासवान एवं 39 द्वारा संयुक्त रूप से शिकायत आवेदन पत्र स्थानीय मुखिया (पंचायत निगरानी समिति के संयोजक) एवं प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष का अनुशंसा किया हुआ अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया था। उक्त आवेदन की जांच विभागीय निदेश के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी से करायी गयी। जॉच के समय मुख्य परिवादी ब्रहमदेव पासवान एवं अन्य छः ने ब्यान दिया कि माह फरवरी 2014 का किरासन तेल का कूपन फाड़कर ले लिया और किरासन तेल नहीं दिया गया। माह अक्टूबर 2013 का अनाज देकर माह नवम्बर 2013 का कूपन फाड़ लिया। साथ ही माह में दो से तीन दिन दुकान खोलता है। डीलर अलग व्यवसाय करते हैं। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा ब्यान दिया गया कि एकबार में दो माह का किरासन तेल का कूपन लेकर पाँच लीटर तेल देता है। राशि 100/–रूपये लेता है। खाद्यान में 180/–लेता है। निरीक्षण के दौरान दूकान बन्द पाया गया। सूचना बोर्ड पर पुराना विवरण दिनांक 08.03.2014 का लिखा पाया गया जो अद्यतन संधारित नहीं है।

उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 504, दिनांक 05.04.2014 द्वारा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री नवल किशोर वर्मा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता श्री नवल किशोर वर्मा के विरूद्ध उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायत एवं उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिया गया जांच प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप सही पाया गया और उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा श्री वर्मा के अनुज्ञप्ति सं0 29 बी0/07 को रद्द कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली बिक्रेता नवल किशोर वर्मा, द्वारा बिक्रेता द्वारा महादलित एवं दलित उपभोक्ताओं से फरवरी 14 में किरासन तेल का कूपन लेकर भी किरासन तेल नहीं देना, खाद्यान माह अक्टूबर 2013 का देकर माह नवम्बर 2013 का भी कूपन फाड़ लेना निर्धारित दर से अधिक राशि लेना, निर्धारित मात्र से कम देना। दूकान माह में दो से तीन बार खोलना, सूचना पट्ट संधारित नहीं करना,

निरीक्षण के दौरान दूकान बन्द पाया जाना, बिना सूचना के बिक्रेता का अनुपस्थित पाया जाना, खाद्यान दो माह का एक साथ वितरण करना एवं भुगतान कूपन कम जमा करना अनुज्ञप्ति के शर्त्तो का घोर उल्लंघन है। उक्त के आलोक में ही श्री वर्मा के अनुज्ञप्ति सं0 29 बी0/2007 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा रद्द किया गया।

अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया, परन्तु उनकी लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी श्री नवल किशोर वर्मा द्वारा अनुज्ञप्ति के शार्त्तो का घोर उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 571 दिनांक 17.04.2014 को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।